आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या– सी0आर0एम0-23/2013–14

वकील राम
बनाम
बिहार सरकार

23.09.14

यह अपील वाद वकील राम पिता स्व0 गोपीचन्द्र राम सा0–मझरीया,टोला कदमाहाँ वार्ड नं0–14 थाना–भैरोगंज जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा आदेश दिनांक–18.10.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके तहत अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या–78/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्ध कर दिया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुये निम्न् न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई । अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विशेष जॉच अभियान के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ठकराहॉ द्वारा दिनांक–24.08.2013 को 12 बजे ग्राम पंचायत राज मझरिया,बगहा –01 प्रखंड में वकील राम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई :–

1. दुकान बन्द पाई गई तथा विकेता अनुपस्थित पाये गये। इस कारण भण्डार का सत्यापन नही हो सका।
2. विक्रेता के दुकान से सम्बद्व बी0पी0एल0 लाभुकों यथा लालबाबु राम पिता–स्व0 सीता राम कुपन संख्या–395447 एवं अन्य के द्वारा ब्यान दिया गया कि विक्रेता उन्हें 10(दस) किलो गेंहू तथा बारह (12) किलो चावल एक सौ पच्चास (150) रूपये मूल्य प्राप्त कर आपूर्ति करते है जो निर्धारित मात्रा से तीन (3) किलो कम खाद्यान्न दिया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

जाता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित दर से सोलह (16) रूपये अधिक राशि वसूल की जाती है। साथ ही लाभुकों से 2.500 लीटर किरासन तेल पच्चास(50)रूपये में दिया जाता है जो निर्धारित मात्रा से 250 ग्राम कम किरासन तेल देकर छः रूपये अधिक लिया जाता है।

3. विक्रेता के दुकान से सम्बद्व अन्त्योदय लाभूको यथा हरेन्द्र राम पिता–स्व0 सीता राम कुपन संख्या–106811 एवं अन्य द्वारा बताया गया है कि उन्हें दस (10) किलो गेहूँ तथा बीस (20) किलो चावल कुल तीस (30) किलो खाद्यान्न एक सौ पच्चास (150) रूपये भुगतान के पश्चात् मिलता है,जो सरकार द्वारा निर्धरित दर पॉच(5) किलो खाधान्न की आपूर्ति बीस(20)रूपये अधिक लेकर की जाती है। साथ ही 2.500 लीटर किरासन तेल पच्चास (50)रूपये में दिया जाता है जो निर्धारित मात्रा से 250 ग्राम कम किरासन तेल देकर निर्धारित दर से सौ (100) रूपये अधिक लिया जाता है।

उपरोक्त आरोपो के संबंध में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,बगहा के ज्ञापांक 329/आ0 दिनांक–02.09.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि जॉच के दिन दिनांक–24.08.2013 को जन वितरण प्रणाली दुकानदार की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण ईलाज कराने बगहा चले गये थे, लेकिन उनके दुकान से संबंधित सभी कागजात उनके घर पर थे एवं उनकी पत्नी तथा बच्चे घर पर थे। जॉच दल को दुकान तथा भंडार का सत्यापन करने में कोई परशानी नही होती।

विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनके द्वारा प्रत्येक बी0पी0एल0 लाभुको को दस (10) किलो गेहूँ एवं पन्द्रह(15) किलो चावल कुल पच्चीस (25) किलो खाद्यान्न एक सौ पच्चपन (155) रूपये लेकर आपूर्ति की जाती है। अन्त्योदय योजनार्गत प्रत्येक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	लाभूको को चौदह (14) किलो गेहूँ एवं एक्कीस (21) किलो चावल एकानब्बे (91) रूपये जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लेकर दिया जाता है, अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि लाभुको से सादे कागज पर अंगूठा का निशान/हस्ताक्षर ले लिया गया था। जिन लोगों का अंगूठा का निशान/हस्ताक्षर है उनकी सत्यता की जांच अनुज्ञप्ति रदद् करने से पूर्व होनी चाहिए थी। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विशेष जॉच अभियान के दौरान लगाये गये आरोप को जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा मनगढ़त एवं सत्य से परे बताया गया है तथा प्राकृतिक न्याय के आलोक में इस मामलें में एक ठोस एवं वस्तुनिष्ठ जांच आवश्यक है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक–18.10.2013 को रद्व किया जाता है तथा इस वाद को अनुमंडल पदाधिकारी,बगहा को वापस करते हुए निदेशित किया जाता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता से वितरण पंजी प्राप्त कर कम से कम 10–15 प्रतिशत उपभोक्ताओं का सत्यापन करें कि जिन उपभोक्ताओं को जितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण पंजी में दिखाया गया हे उन उपभोक्ताओं को उतनी मात्रा में खाद्याान्न का वितरण किया गया है या नही। जिन उपभोक्ताओं को वितरण पंजी में वितरण दिखाया गया है उतने उपभोक्ताओं का कूपन उपलब्ध है या नही तथा जिस तिथि को अनुज्ञप्ति रद्व किया गया था नियमानुसार वितरण के बाद भंडार में अवशेष सामग्री उपलब्ध था या नहीं? यदि उपरोक्त जांच से किसी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी का मामला नही स्थापित होता है तो वे जनवितरण प्रणाली के विक्रेता की अनुज्ञप्ति बहाल कर देंगे तथा अन्यथा स्थिति होने पर उचित आदेश पारित करेंगे। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	